GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2015/श्रावण 27, 1937

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 87

No. 109]

DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2015/SRAVANA 27, 1937

IN.C.T.D. No. 87

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विमाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 18 अगस्त, 2015

सं. फा. 10(6) / वित्त (राज0-1) / 2014-15 / डीएसएफ.-VI / 671.— दिल्ली विलासिता कर अधिनियम 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें सशक्त बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन दानिक्स अधिकारियों को दिनांक 03 अगस्त, 2015 से 21 अगस्त, 2015 तक आबकारी विभाग में उनके प्रशिक्षण के दौरान पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी, मनोरंजन एवं बाजीकर तथा विलासिता कर आयुक्त, दिल्ली के कार्यों के निष्पादन में उनकी सहायतार्थ विलासिता कर अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं :--

# क्र.सं. परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम

- 1. श्री मुकेश रजौरा
- 2. श्री सुधाकर
- 3. डा. अपूर्वा शर्मा
- 4. कु. चार्मी कमल पारेख
- 5. कु. गुरप्रीत सिंह
- 6. श्री सोलंकी जयंतीलाल
- 7. श्री राजेश चौधरी
- श्री राजीव रंजन

# FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 18th August, 2015

No. F.10 (6)/Fin./Rev-1/2014-15/ DSF-VI/671.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996) and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following DANICS probationers of Government of National Capital Territory of Delhi as Luxury Tax Officers, to assist the Commissioner of Excise, Entertainment, Betting Tax and Luxury Tax, Delhi in discharge of his functions under the said Act during their field training in Excise Department with effect from 03rd August, 2015 to 21st August, 2015, namely:—

#### Sl. No. Name of the Probationer

- 1. Sh. Mukesh Rajora
- 2. Sh. Sudhakar
- 3. Dr. Apurva Sharma
- 4. Ms. Charmie Kamal Parekh
- 5. Ms. Gurpreet Singh
- 6. Sh. Solanki Jyantilal
- 7. Sh. Rajesh Choudhary
- 8. Sh. Rajiv Ranjan

सं. फा. 10(6) / वित्त (राज.—1) / 2014—15 / डीएसएफ—VI / 672.—दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम 8) की .धारा 3 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निम्निलिखत परिवीक्षाधीन दानिक्स अधिकारियों को दिनांक 3 अगस्त, 2015 से 21 अगस्त, 2015 तक आबकारी विभाग में उनके प्रशिक्षण के दौरान पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी मनोरंजन एवं बाजीकर तथा विलासिता कर के अन्तर्गत आयुक्त के कर्त्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए मनोरंजन एवं बाजीकर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :—

#### क्र.सं. परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम

- 1. श्री मुकेश रजौरा
- 2. श्री सुधाकर
- 3. डा. अपूर्वा शर्मा
- 4. क्. चार्मी कमल पारेख
- कृ. गुरप्रीत सिंह
- 6. श्री सोलंकी जयंतीलाल
- 7. श्री राजेश चौधरी
- 8. श्री राजीव रंजन

No. F.10 (6)/Fin./Rev-1/2014-15/ DSF-VI/672.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Delhi Entertainment and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act 8 of 1997), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following DANICS probationers of Government of National Capital Territory of Delhi as Entertainment and Betting Tax Officer, to assist the Commissioner of Excise, Entertainment, Betting Tax and Luxury Tax, Delhi in discharge of his functions under the said Act during their field training in Excise Department with effect from 03rd August, 2015 to 21st August, 2015, namely:—

## Sl. No. Name of the Probationer

- Sh. Mukesh Rajora
- 2. Sh. Sudhakar
- Dr. Apurva Sharma
- 4. Ms. Charmie Kamal Parekh

- 5. Ms. Gurpreet Singh
- 6. Sh. Solanki Jyantilal
- 7. Sh. Rajesh Choudhary
- 8. Sh. Rajiv Ranjan

सं. फा. 10(6) / वित्त (राज.-1) / 2014-15 / डीएसएफ-VI / 673.—दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की घारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निम्नलिखत परिवीक्षाधीन दानिक्स अधिकारियों को आबकारी विभाग में उनके क्षेत्रीय प्रशिक्षण के दौरान दिनांक 03 अगस्त, 2015 से 21 अगस्त, 2015 तक पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ सहायक आयुक्त (आबकारी) के रूप में नियुक्त करते हैं:-

## क्र.सं. परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम

- 1. श्री मुकश रजौरा
- 2. श्री सुधाकर
- 3. डा. अपूर्वा शर्मा
- कु. चार्मी कमल पारेख
- कृ. गुरप्रीत सिंह
- 6. श्री सोलंकी जयंतीलाल
- 7. श्री राजेश चौधरी
- 8. श्री राजीव रंजन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

No. F.10 (6)/Fin./Rev-1/2014-15/ DSF-VI/673.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following DANICS probationers of Government of National Capital Territory of Delhi as Assistant Commissioner (Excise) for the purpose of performing the functions as specified under the said Act during their field training in Excise Department with effect from 03rd August, 2015 to 21st August, 2015, namely:—

#### Sl. Name of the Probationer

No.

- Sh. Mukesh Rajora
- Sh. Sudhakar
- 3. Dr. Apurva Sharma
- 4. Ms. Charmie Kamal Parekh
- 5. Ms. Gurpreet Singh
- 6. Sh. Solanki Jyantilal
- 7. Sh. Rajesh Choudhary
- Sh. Rajiv Ranjan

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

# गृह (पुलिस—II) विमाग । अधिसूचना

दिल्ली, 18 अगस्त, 2015

सं. फा. 20/23/2000/गृह पु.—II/7245.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 469 तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 375 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी, निम्नलिखित व्यक्तियों को, जिन्हें दिल्ली के उच्च न्यायालय के पंजीयक (सतर्कता), दिल्ली उच्च न्यायालय की. दिनांक 12 मई, 2015 की अधिसूचना संख्या 92/डीएचसी/गजट/विशेष एम एम/2015 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसारण में विशेष महानगर दण्डाधिकारी की समस्त शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अपराधिक मामलों की सुनवाई हेतु उन्हें नगर दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करते हैं। यह शक्तियां तब तक जारी रहेंगी, जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें विशेष महानगर दण्डाधिकारी की शक्तियां प्राप्त हैं:—

- 1. श्री बाबू लाल केन
- 2. श्री एन, शिवा प्रसादन
- 3. श्री सीता राम
- 4. श्री जगदीश चन्द्र सहगल
- श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन
- 6. सुश्री नैना बक्शी
- 7. श्री रमेश कुमार अजमानी
- श्री जीत कुमार वैद्य
- 9. श्री मोहन सिंह डबास
- 10. श्री दिनेश चन्द
- 11. श्री के. के. मिगलानी
- 12. श्री सुनील कुमार साहा
- 13. श्री सधीर कुमार

- 14. श्री सोमनाथ अरोडा
- 15. श्री साधेराम शर्मा
- 16. श्री देवी सिंह पंवार
- 17. श्री विजेन्द्र सिंह पुन्डीर
- 18. श्री सुनील दत्त शर्मा
- 19. श्री ब्रहम प्रकाश दत्ता
- 20. श्री रबिन्द्र नारायण मिश्र
- 21. श्री विजय कुमार सक्सेना
- 22. श्री नाथू राम शर्मा
- 23. श्री हरी दर्शन
- 24. श्री ओम प्रकाश सपरा
- 25. श्री एम. के. नौनिहाल, एवं
- 26. श्री वी. के. एस. चौहान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ओ. पी. मिश्रा, अतिरिक्त सचिव (गृह)

# HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 18th August, 2015

No. F. 20/23/2000-HP-II/7245.—In exercise of the powers conferred by section 469 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and Section 375 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994, (44 of 1994) Competent Authority in the National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon the following persons, who have been conferred with all power of Special Metropolitan Magistrate in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), vide Notification No. 92/DHC/GAZ/SPL.MM/2015 dated the 12th May, 2015 of Registrar (Vigilance), High Court of Delhi, the powers of Municipal Magistrate for the trial of offences under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and New Delhi Municipal Council Act, 1994, within the National Capital Territory of Delhi for such period till the powers of Special Metropolitan Magistrate conferred upon them by the High Court of Delhi, exist, namely;—

- 1. Mr. Babu Lal Kain
- 2. Mr. N. Shiya Prasadan
- 3. Mr. Sita Ram
- 4. Mr. Jagdish Chander Sehgal
- 5. Mr. Rajender Parshad Jain

- 6. Ms. Naina Bakshi
- 7. Mr. Ramesh Kumar Aimani
- 8. Mr. Jeet Kumar Vaid
- 9. Mr. Mohan Singh Dabas
- 10. Mr. Dinesh Chand
- 11. Mr. K.K. Miglani,
- 12. Mr. Sunil Kumar Saha
- 13. Mr. Sudhir Kumar
- 14. Mr. Som Nath Arora
- 15. Mr. Sadhey Ram Sharma
- 16. Mr. Devi Singh Panwar
- 17. Mr. Vijendra Singh Pundir
- 18. Mr. Sunil Dutt Sharma
- 19. Mr. Brahm Prakash Dutta
- 20. Mr. Rabindra Narayan Mishra
- 21. Mr. Vijay Kumar Saxena
- 22. Mr. Nathu Ram Sharma
- 23. Mr. Hari Darshan
- 24. Mr. Om Prakash Sapra
- 25. Mr. M.K. Naunihal and
- 26. Mr. V.K.S Chauhan

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

O. P. MISHRA, Additional Secy. (Home)

# राजस्व विभाग अधिसूचनाएं दिल्ली, 18 अगस्त, 2015

सं. फा. टीए35(86) / सीडी / स्टेंडिंग आर्डर. / 2013/1872—1884. — नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 2 के खण्ड (च) के साथ पठित धारा 4 की उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप—राज्यपाल, मण्डलीय आयुक्त, दिल्ली को निदेषक नागरिक सुरक्षा के रूप में नियुक्त करते है।

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 2 के खण्ड (च) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, मण्डलीय आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में उपायुक्त (मुख्यालय) को सम्पूर्ण दिल्ली के नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के रुप में तथा जिला दण्डाधिकारी को उस जिले में नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के रुप में नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के रुप में नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के रुप में नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के रूप में नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के रूप में नियंत्रक करते है।

## REVENUE DEPARTMENT

#### NOTIFICATIONS

Delhi, the 18th August, 2015

F. No. TA35 (86)/CD/Standing Orders/2013/1872-1884.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 4 read with Clause (f) of Section 2 of the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the Divisional Commissioner, Delhi as Director of Civil Defence.

In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 read with Clause (f) of Section 2 of the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint

354406/15-2

the Deputy Commissioner (HQ) in the office of Divisional Commissioner, Delhi as the Controller of Civil Defence for whole Delhi and the District Magistrate of a District as the Controller of Civil Defence in that District.

सं. फा. टीए35(86)/सीडी/स्टेंडिंग आर्डर./2013/1886—1898.—नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 2 के खण्ड (च) के साथ पठित धारा 17 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप—राज्यपाल, उप—मण्डल के उप—मण्डलीय दण्डाधिकारी को उस उप—मण्डल में नागरिक सुरक्षा दलों के सदस्यों के नामांकन करने की शक्तियाँ प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

कुणाल, उपायुक्त (मुख्यालय)

F. No. TA35 (86)/CD/Standing Orders/2013/1886-1898.—In exercise of the powers conferred by Section 17(b) read with Clause (f) of Section 2 of the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to empower Sub-Divisional Magistrate of a Sub-Division to exercise the powers of enrollment of members of Civil Defence Corps in that Sub-Division.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

KUNAL, Dy. Commissioner (Hq.)